न्यायालय— अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
अनन्य उत्पाद न्यायालय नं02,कटिहार ।
प्राणपुर रोशना थाना काण्ड सं0 265/22
जमानत आवेदन सं09491/22
जी0आर0—6302/22
रजि0नं0 2061/22,

20/12/22 काराधीन आवेदक/अभियुक्त गौतम ठाकुर ओर से नवीन वकालतनामा के साथ जमानत आवेदन प्राणपुर रोशना थाना काण्ड सं0 265/22 अंतर्गत *धारा 30(ए) बिहार मद्य निषे*ध एवं उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत दाखिल किया गया है । अभियुक्त दि0 07/12/22 से न्यायिक अभिरक्षा में है । जमानत आवेदन की प्रति विशेष लोक अभियोजक मद्य निषेध एवं उत्पाद को आपूरित है ।

जमानत आवेदन पर उभय पक्षों को सुना ।

संक्षेप में सूचक के द्वारा दिये गये आवेदन के अनुसार अभियोजन कथानक यह है कि सूचक दि0 07/12/22 को पुलिस वाहन से शराब बरामदगी हेतु ओ0पी0 से प्रस्थान किया । सूचक ओ0पी0 गेट के सामने एन.एच. 81 पर वाहन चेकिंग करने के कम में देखा कि लालगंज की ओर से एक पल्सर मोटर साइकिल पर सवार दो व्यक्ति आ रहा है । पुलिस बल को देखकर उक्त मोटर साइकिल पर सवार दोनों व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगा । पुलिस बल के सहयोग से भाग रहे दोनों व्यक्तियों को मोटर साइकिल सहित पकड़ लिया गया । घटनास्थल पर पकड़ाये गये दोनों व्यक्तियों का नाम पुछने पर उसने अपना नाम चन्दन कुमार मिश्रा एवं गौतम कुमार ठाकुर बताया। घटनास्थल पर पकड़ाये दोनों व्यक्तियों एवं बरामद मोटर साइकिल का विधिवत् तलाशी लिया गया । तलाशी के कम में बरामद मोटर साइकिल से 12 लीटर शराब बरामद हुआ ।
घटनास्थल से बरामद शराब को विधिवत् जप्त कर जप्ती सूची तैयार किया गया ।

काराधीन आवेदक/अभियुक्त की ओर से यह निवेदन किया गया कि आवेदक/अभियुक्तगण बिल्कुल निर्दोष है । उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है । काराधीन/अभियुक्त की मॉ बीमार है । काराधीन आवेदक/अभियुक्तगण दि0 07/12/22 से न्यायिक अभिरक्षा में है । अतः उसकी ओर से दाखिल जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई है ।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करते हुए प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई ।

उभय पक्षों के निवेदन के आलोक में अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत आपराधिक वाद प्राणपुर रोशना थाना काण्ड सं0 265/22 काराधीन आवेदक/अभियुक्त के द्वारा धारा 30 ए बिहार उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत कारित अपराध के लिए संस्थित किया गया है । आवेदक/अभियुक्त के मोटर साइकिल से 12 लीटर शराब बरामद हुआ है। काराधीन आवेदक/अभियुक्तगण दि0 07/12/22 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

अतः उक्त तथ्यों के आलोक में काराधीन आवेदक/अभियुक्त गौतम ठाकुर द्वारा कारा में बिताई गई अवधि को ध्यान में रखते हुए उनकी की ओर से दाखिल जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है ।

तद्नुसार काराधीन आवेदक/अभियुक्त की ओर से मो0 10000/—रू0 का बंधपत्र एवं उतनी ही राशि के दो प्रतिभु दाखिल करने पर इस शर्त के साथ जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है कि दो प्रतिभु में एक प्रतिभु उनके अपने नजदीकी रिश्तेदार होंगे ।

लेखापित

अमित राज
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अनन्य विशेष उत्पाद न्यायालय नं02
कटिहार ।

web copy of court katihar